ANNEXURE=4

कार्यालय
निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
भोपाल पानी पो0 बडासी,देहरादून।

संख्या मुख्य खनिज– /मा0प्ला0–75/ बागे0/ भू0खनि0ई0/2017–18 दिनांक 07 जुलाई, 2017

कार्यालय–ज्ञाप

उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1825/VII-I/2016/198–ख/2001 दिनांक 15 दिसम्बर, 2016 के द्वारा आवेदक श्री दिनेश सिंह परिहार पुत्र श्री शील सिंह परिहार, निवासी ग्राम आगर, तहसील गरूड, जिला बागेश्वर के पक्ष में जनपद बागेश्वर, तहसील काण्डा के ग्राम बजीना में 4.941 है0 क्षेत्रफल में खनिज सोपस्टोन का 25 वर्ष के लिए खनन पट्टा का आशय पत्र जारी किया गया है , उक्त से सम्बन्धित खनन योजना एवं उत्तरोतर खान बन्द करने की योजना आर0 क्यू0 पी0 श्री प्रकाश मल जैन, आर0क्यू0पी0/DDN/02/2016, 24, न्यू अहिंशापुरी, फतेहपुरा सर्किल, उदयपुर–313001 द्वारा तैयार की गयी है, को वैज्ञानिक, तकनीकी एवं पर्यावरण सुरक्षा के दृष्टिकोण से खनन संक्रियाओं के सुनियोजित संचालन हेतु उपयुक्त पाये जाने के दृष्टिगत उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 844/VII-1/2015/68–ख/2015 दिनांक 31 जुलाई, 2015 यथा संशोधित कार्यालय ज्ञाप संख्या 1589/VII-1/2015/68–ख/2015 दिनांक 07 अक्टूबर, 2015 द्वारा जारी उत्तराखण्ड गौण खनिज नीति–2015 के प्रस्तर–3(दो)(1) के अर्न्तगत प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए एवं निदेशालय द्वारा कार्यालय ज्ञाप संख्या 1762/खनन/गौण खनिज–माईनिंग प्लान/26/भू0खनि0ई0/2015–16 दिनांक 31 अक्टूवर 2015 द्वारा माईन प्लान, माईन क्लोजर प्लान, स्कीम आफ माईनिंग हेतु जारी गाईड लाईन के दृष्टिगत प्रस्तुत खनन योजना एवं उत्तरोतर खान बन्द करने की योजना का अनुमोदन आगामी 05 वर्ष हेतु खनन कार्य सेमी मैक्नाइज्ड माईनिंग से विना ड्रिलिग एवं ब्लास्टिंग के **प्रथम वर्ष 8,473 टन द्वितीय वर्ष में 11173 टन तृतीय वर्ष में 13817 टन चतुर्थ वर्ष में 15231 टन एवं पंचम वर्ष में 17,905** टन के उत्पादन हेतु खनन योजना एवं उत्तरोतर खान बन्द करने की योजना का अनुमोदन निम्नलिखित शर्तो के अधीन किया जाता है:

शर्तेः–

1. उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 844/VII-1/2015/68–ख/2015 दिनांक 31 जुलाई, 2015 यथा संशोधित कार्यालय ज्ञाप संख्या 1589/VII-1/2015/68–ख/2015 दिनांक 07 अक्टूबर, 2015 द्वारा प्रख्यापित गौण खनिज नीति–2015 के समस्त शर्तो का अनुपालन पट्टाधारक द्वारा अक्षरशः किया जायेगा।
2. राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकारण उत्तराखण्ड से पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त पर्यावरणीय अनुमति की समस्त शर्तो का अनुपालन करते हुए खनन योजना के अनुसार खनन कार्य किया जायेगा।
3. यह खनन योजना अन्य किसी अधिनियम जो कि खान या क्षेत्र पर लागू होते है या समय–समय पर राज्य सरकार या केन्द्र सरकार या अन्य किसी सक्षम द्वारा प्रख्यापित किये जाते है, को छोडकर अनुमोदित की जाती है।
4. खान अधिनियम 1952 के अधीन प्राप्त की जाने वाली स्वीकृतियॉ सक्षम स्तर से प्राप्त की जानी होगी।
5. यह खनन योजना वन (संरक्षण) अधिनियम–1980, वन संरक्षण नियमावली 1981 और अन्य सम्बन्धित अधिनियम और नियमावली, आदेश और दिशा निर्देश जो कि इस खनन पट्टे पर समय–समय पर दिये जाये लागू होगे।
6. अनुमोदित खनन योजना किसी भी प्रभावी माननीय न्यायालय , मा0 ट्रिब्यूनल एवं किसी प्रकार के अन्य न्यायालय आदि के आदेश एवं दिशा निर्देश के लागू होने को बाधित नही करती है।
7. इस खनन योजना में संशोधन का अनुमोदन राज्य सरकार अथवा अन्य किसी प्राधिकाकरी द्वारा खान पर समय–समय पर लागू किए गए कानूनों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किया गया है।
8. रू0 2.00 लाख (दो लाख) की बैंक गारन्टी निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के पक्ष में खनन कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व बधक कर प्रस्तुत करनी आवश्यक होगी।

9. इस खनन योजना एवं उत्तरोतर खान बन्द करने की योजना का अनुमोदन किसी भी न्यायालय के सक्षम क्षेत्राधिकार के किसी आदेश या निर्देश पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किया गया है।
10. खान अधिनियम 1952 के अर्न्तगत खान को चालू करने की सूचना, खान प्रबधक एवं अन्य वैधानिक नियुक्तियों को अधिसूचित करने सहित उक्त अधिनियिम के सभी नियमों एवं उपनियमों की पालना की जाएगी।
11. खनन योजना एवं उत्तरोतर खान बन्द करने की योजना का निष्पादन/कियान्वयन निषेधाज्ञाओं/अधिसूचनाओं, आदि कोई हो तो के रिक्त होने के अधीन होगा।
12. खान अधिनियम के अर्न्तगत अपेक्षित कोई सूचना/विषय वस्तु का संगुप्त रखना/छिपाना यदि पाया जाता है और उसके सुधार हेतु कोई प्रस्ताव भी नही दिया जाता है तो खनन योजना एवं उत्तरोतर खान बन्द करने की योजना का अनुमोदन तुरन्त प्रभाव से वापस लेना माना जायेगा।
13. किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि दस्तावेज में दी गई, उपलब्ध कराई गई सूचनाए असत्य अथवा गलत ढंग से दर्शायी गई है, तो दस्तावेज का अनुमोदन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा।
14. खनन क्षेत्र को डिजिटाइज्ड किये जाने के उद्देश्य से सम्बन्धित आर0क्यू0पी0/खनन पट्टाधारक 45 दिन के उपरान्त डिजिटाइज्ड खसरा मानचित्र, जी0पी0एस कोर्डिनेटस के साथ साप्ट कापी मे एवं हार्ड कापी में निदेशालय को तैयार कर उपलब्ध करायेगा।
15. पट्टाधारक जिस खेत में कार्य करेगा उस खेत की सूचना सम्बन्धित जनपद के खान अधिकारी बागेश्वर एवं उपनिदेशक, खनन, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई हल्द्वानी जनपद नैनीताल, जिलाधिकारी बागेश्वर एवं उपजिलाधिकारी काण्डा जनपद बागेश्वर के कार्यालय को जिस खेत में खनन हो रहा है के भूस्वामी से किये गये अनुबन्ध की छाया प्रति खनन कार्य प्रारम्भ करने के 15 दिन पूर्व प्रस्तुत करेगा।
16. भू–सदर्भित खनन पट्टा प्लान्स सम्मिश्रण उपरान्त भू–संदर्भित वैक्टोराइज्ड खसरा प्लान से पूरी तरह मेल होना चाहिए और तत्सबंधी दस्तावेज तीन माह में प्रस्तुत किया जायेगा।
17. अनुमोदित खनन योजना की एक–एक प्रमाणित प्रति सम्बन्धित जिलाधिकारी कार्यालय, उपनिदेशक, खनन, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, हल्द्वानी जनपद नैनीताल, सम्बनिधत उपजिलाधिकारी एवं आवेदक को अभिलेखार्थ यथाशीघ्र प्रस्तुत करने का दायित्व सम्बन्धित आर0क्यू0पी0 का होगा।

संलग्नकः खनन योजना की अनुमोदित प्रति।

(विनय शंकर पाण्डेय)
निदेशक।

पृष्ठांक 536 मुख्य खनिज– /मा0प्ला0–75/ बागे0/ भू0खनि0ई0/2017–18 तददिनांकित ।

1. जिलाधिकारी, बागेश्वर।
2. उपजिलाधिकारी, काण्डा जनपद बागेश्वर।
3. उपनिदेशक, खनन, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, हल्द्वानी, जनपद नैनीताल।
4. खान अधिकारी भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, बागेश्वर।
5. श्री दिनेश सिंह परिहार पुत्र श्री शील सिंह परिहार, निवासी ग्राम आगर, तहसील गरूड, जिला बागेश्वर द्वारा श्री प्रकाश मल जैन, आर0क्यू0पी0, न्यू अहिंशापुरी, फतेहपुरा सर्किल, उदयपुर–313001

(विनय शंकर पाण्डेय)
निदेशक।